1714

145/166

S.R.-I

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

555858

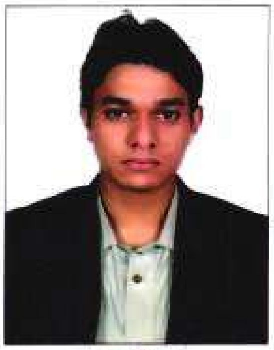

क्षेत्राधिकार कार्यालय उप निबन्धक मुजफ्फरनगर प्रथम

भूमि का प्रकार	:–	कृषि भूमि
वार्ड / परगना	:–	मुजफ्फरनगर
मौहल्ला / ग्राम	:–	शेरनगर
सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नम्बर)	:–	खसरा नम्बर 53
मापन की इकाई	:–	हैक्टेयर
सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:–	0.7520 हैक्टेयर
सडक की स्थिति	:–	नहीं है
सम्पत्ति का प्रकार	:–	कृषि
पेडों का मूल्यांकन	:–	5500 / –रुपये

17

25000x4 - 100000

5000x1 - 5000

1000x1 - 1000

106000

10..................धनराशि रू0......... रु 106000/-

स्टाम्प खरीदार का नाम श्री .... सीता राम बिल्डर्स

पुत्र श्री..................निवासी......... 39 सुथरा शाही मु०नगर

दिनांक..................वास्ते द्वारा अमन बंसल साझेदार

13-02-08

कृते वरिष्ठ कोषाधिकारी

कोषागार, मुजफ्फरनगर

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

555859

12 FEB 2008

मुजफ्फरनगर

-2-

बोरिंग / कुंआ / अन्य :— नहीं है

सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है:— नहीं है

प्रतिफल की धनराशि	:—	12,09,000 / —रूपये
मालियत	:—	12,08,700 / —रूपये
निर्धारित दर	:—	16,00,000 / —रूपये प्रति है0
स्टाम्प शुल्क	:—	1,21,000 / —रूपये
किस्म जमीन	:—	अव्वल आबी

विक्रीत सम्पत्ति आवास विकास शुल्क के अन्तर्गत है।

विक्रेता अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं है।

प्रथम पक्ष की संख्या (3)

विक्रेता का विवरण

1—**राज कुमार** पुत्र श्री रणवीर निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व्यवसाय:— खेती

राज कुमार

17 R106001
13.02.08

1,209,000.00/	1,209,000.00	5,000.00	20	5,020.00	800
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती राजकुमार
पुत्र / पत्नी श्री रणवीर
पेशा कृषि
निवासी स्थायी शेरनगर मु0नगर
अस्थायी पता
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 14/2/2008 समय 4:58PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

राजकुमार

00
उपनिबन्धक(प्रथम)
मुजफ्फरनगर
14/2/2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

श्री/श्रीमती राजकुमार
पुत्र/पत्नी श्री रणवीर
पेशा कृषि
निवासी शेरनगर मु0नगर

श्री/श्रीमती सीताराम बिल्डर्स द्वारा अमन बंसल
पुत्र/पत्नी श्री अजय बंसल
पेशा व्यापार
निवासी 36 इमामबाडा मु0नगर

श्री/श्रीमती कुमकुमार
पुत्र/पत्नी श्री रणवीर
पेशा कृषि
निवासी शेरनगर मु0नगर

श्री/श्रीमती सुनील कुमार
पुत्र/पत्नी श्री रणवीर
पेशा कृषि
निवासी शेरनगर मु0नगर

राजकुमार कुमकुमार सुनील कुमार

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

555860

12 FEB 2008

मुजफ्फरनगर

-3-

2–**कुमकुमार** पुत्र श्री रणवीर निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व्यवसाय:– खेती

3–**सुनील कुमार** पुत्र श्री रणवीर निवासी ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर व्यवसाय:– खेती

द्वितीय पक्ष की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

1– श्री सीताराम बिल्डर्स 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर श्री अमन बंसल पुत्र श्री अजय बंसल निवासी 36, इमामबाडा प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर व्यवसाय:– व्यापार PAN- ABIFS 7034 H

17 [illegible] 106000/-

13.02.08

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री सूबेदीन

पुत्र श्री नत्थू

पेशा कृषि

निवासी शेरनगर मु0नगर

व श्री भानवीर

पुत्र श्री बुद्ध सिह

पेशा कृषि

निवासी शेरनगर मु0नगर

ने की ।

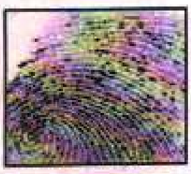

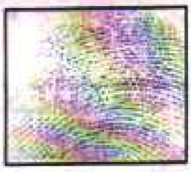

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

00

उपनिबन्धक(प्रथम)

मुजफ्फरनगर

14/2/2008

भानवीर

CWNMO

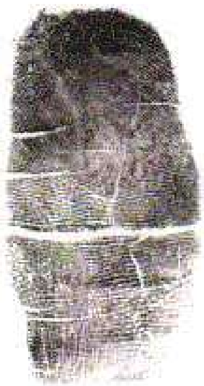

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

555861

हम कि **राज कुमार व कुमकुमार व सुनील कुमार** पुत्रगण श्री रणवीर निवासीगण ग्राम शेरनगर परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर प्रथम पक्ष (विक्रेतागण) व **श्री सीताराम बिल्डर्स 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर** श्री अमन बंसल पुत्र श्री अजय बंसल निवासी 36, इमामबाडा प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) हैं। जो कि प्रथम पक्ष भूमि निम्नलिखित का मालिक व काबिज संक्रमणीय भूमिधर है। यह सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण भार, देनदारी से कतई पाक व साफ है और उसको विक्रय करने के पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं। द्वितीय पक्ष ने भी अपनी तसल्ली सम्पत्ति निम्नलिखित की बाबत कागजात माल में व मौके पर देखकर कर ली है कि यह सही है। अतः प्रथम पक्ष ने सम्पत्ति

17 ……… बनराशि ……… R106001

……… वाले

13-02-08

पेशकार/सहा० पेशकार

विक्रेता

Registration No.: 1714   Year : 2008   Book No. : 1

0101 राजकुमार

रणवीर

शेरनगर मु0नगर

कृषि

0102 कुमकुमार

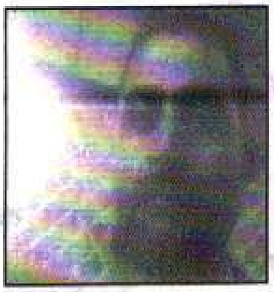

रणवीर

शेरनगर मु0नगर

कृषि

0103 सुनील कुमार

रणवीर

शेरनगर मु0नगर

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 830906

13 FEB 2008

निम्नलिखित को मन, बुद्वि तथा समस्त इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में स्वेच्छा से सम्पूर्ण परिवार के परामर्श से सम्पूर्ण परिवार के हितों को ध्यान में रखते हुये बिना बाकी रखे हक व हकूक किसी भी किस्म के अंकन **बाहर लाख नौ हजार रूपये (12,09,000/–रूपये)** आधे जिसके अंकन छः लाख चार हजार पांच सौ रूपये (6,04,500/–रूपये) होते है बदस्त **श्री सीताराम बिल्डर्स 39, सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर** श्री अमन बंसल पुत्र श्री अजय बंसल निवासी 36, इमामबाडा प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूर्ण रूप से विक्रय कर दी है। कुल विक्रय मूल्य द्वारा तीन किते चैक नम्बरी 342256 व 342257 व 342258 दिनांकित 12–02–2008ई0 विजया बैक मुजफ्फरनगर प्राप्त कर लिये है इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य

17 F 106000 L

13-02-08

क्रेता

Registration No. : 1714 Year : 2008 Book No. : 1

0201 सीताराम बिल्डर्स द्वारा अमन बंसल

अजय बंसल

36 इमामबाडा मु0नगर

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 830733

11 FEB 2008

प्राप्त कर लिया है। अब कोई पैसा बाकी नही रहा है। कब्जा विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष ने अपना मौके पर से उठाकर बमिस्ल अपने मौके पर द्वितीय पक्ष का करा दिया है। अब विक्रीत भूमि से प्रथम पक्ष या उसके वारसान का कोई ताल्लुक व वास्ता नही रहा है और न ही आईन्दा होगा। अब यदि प्रथम पक्ष की किसी क्रिया से या उसके किसी सहीम या शरीक की दावेदारी से या किसी कानूनी त्रुटि के कारण या किसी अन्य कारण से विक्रीत भूमि या उसका कोई भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या उनके वारसान से निकल जावे तो उन्हे अधिकार होगा कि कब्जा स्वंय या द्वारा अदालत प्राप्त कर लें या कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा खर्चा रिवाजी ब्याज प्रथम पक्ष या उनके वारसान की जात व जायदाद से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें। इसमें प्रथम पक्ष या

28 स्टाम्प विक्रय की तिथि 14-2-08

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

[illegible] [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 5000

5000×3 = 15000-

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाइसेन्स सं० 8
लाइसेन्स की अवधि 31-3-2011

नरेन्द्र कुमार गर्ग
(स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 830734

11 FEB

उनके वारसान को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी। विक्रीत भूमि किसी मुख्य मार्ग, जनपदीय मार्ग, लिंक मार्ग, बाईपास या खडन्जे पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि खेती की भूमि है और खेती कार्य के लिये द्वितीय पक्ष ने क्रय की है। विक्रीत भूमि की मालियत लगान के अनुसार अंकन 29,680/–रूपये होती हैं। विक्रीत भूमि का मुहायदा वर्तमान बाजारी कीमत पर अंकन **12,09,000/– रूपये** में हैं। वर्तमान बाजारी कीमत इससे अधिक नही है। विक्रीत भूमि की मालियत निर्धारित किस्म भूमि के अनुसार अंकन 12,03,200/– रूपये होती है तथा विक्रीत भूमि मे 1 पेड शीशम व 4 पेड पापुलर व 1 पेड आम व 1 पेड तुन है जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है जिनकी अधिक से अधिक कीमत अंकन 5500/–रूपये होती हैं इस प्रकार कुल मालियत अंकन 12,08,700/– रूपये होती है। किन्तु द्वितीय पक्ष ने

2 ए स्टाम्प विक्रय की तिथि 14-2-08

— स्टाम्प की धनराशि 5000/-

शामिल नम्बर 28 किया गया।

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स सं० 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2011

नरेन्द्र कुमार गर्ग
(स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हज़ार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 830735

03 कोषागार 11 FEB 2008 मुजफ्फरनगर

-8-

स्टाम्प शुल्क अपने महायदे के अनुसार अंकन 12,09,000/– रूपये पर अदा किया है। विक्रीत भूमि के सम्बन्ध में आज से पूर्व कोई निबन्धित इकरारनामा द्वितीय पक्ष से नही हुआ है। विक्रीत भूमि के 400 मीटर की त्रिज्या में कृषि क्षेत्र है। अतः यह **विक्रय पत्र** लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति।

विवरण विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम **शेरनगर** परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगरः– जो कि कृषि भूमि **खसरा नम्बर 53 रकबई 0.7520**

30 स्टाम्प विक्रय की तिथि 14-2-08
— स्टाम्प की धनराशि 5000/-
शामिल नम्बर ... 28 किया गया।

नरेन्द्र कुमार गर्ग (स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर
लाईसेन्स सं० 8
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2011

नरेन्द्र कुमार गर्ग
(स्टाम्प विक्रेता)
तहसील सदर, मुजफ्फरनगर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 918211

है0, लगान 37.10 रूपये सालाना किस्म भूमि जंगल अव्वल आबी, मय जुमला हक व हकूक हर किस्म।

साक्षी

साक्षी

तहरीर ता0:–14–02–2008 ई0

ड्राफ्ट कर्ता:–विनोद कुमार शर्मा एडवोकेट, तहसील सदर, मुजफ्फरनगर।

17

8106001

13-02-08

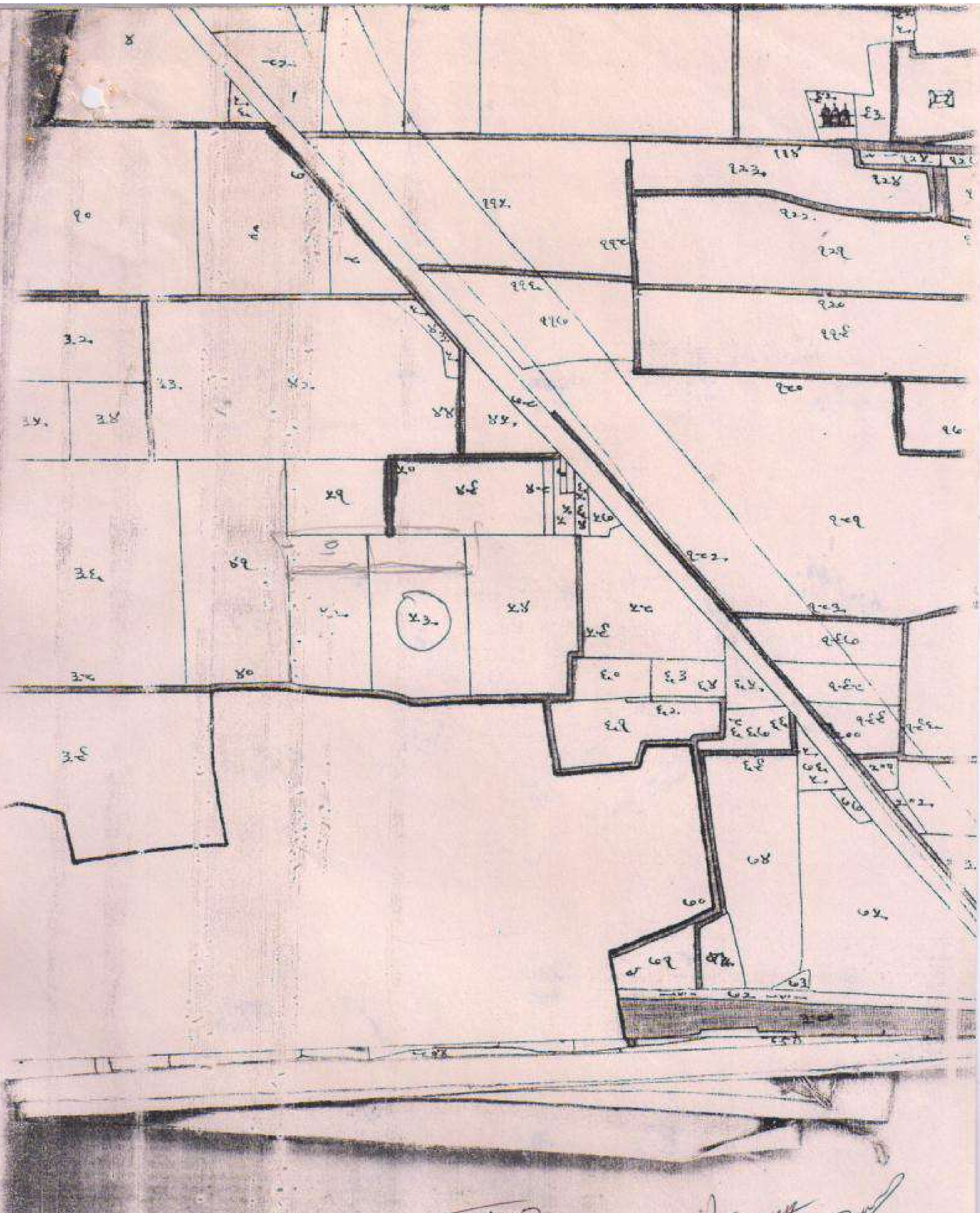

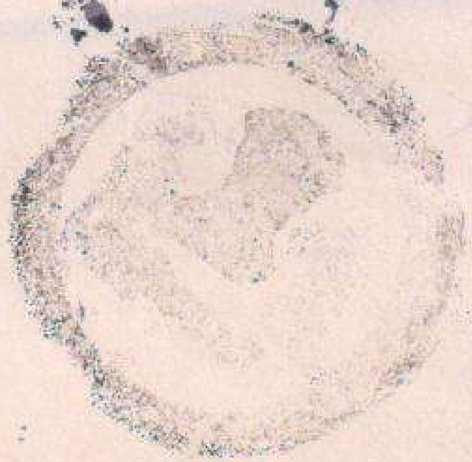

पक्षकार का नाम .... राजकुमार

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम .... कुन्न कुमार

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम .... सुनील कुमार

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया हाथ					

पक्षकार का नाम .... अमन [illegible]

	अगुष्ठंक	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका
दायाँ हाथ					
बाँया					

आज दिनांक **14/02/2008** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **4007**

पृष्ठ सं. **145** से **166** पर कमांक **1714**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

00

14/2/2008

BHULEKH
Uttar Pradesh

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : शेरनगर   परगना : (सदर)   तहसील : सदर   जनपद : मुजफ्फर नगर   फसली वर्ष : 1425-1430   भाग : 1   खाता संख्या : 00863

खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	आदेश	टिप्पणी
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।				
सीताराम बिल्डस 39 सुथराशाही / . / . मु0नगर द्वारा पार्टनर / . / . अमन बंसल पुत्र अजय बंसल / . / . नि.56 इमामबाडा प्रेमपुरी / . / .	53	0.7520		
योग	1	0.7520		

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अघतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

नकल द्वारा प्राप्त संख्या 432

नकल ... 1-5-10

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मुजफ्फरनगर।

वाद सं0– 62 /09–10 | अन्तर्गत धारा–143 ज0वि0अधि0

मौजा–शेरनगर | परगना– मुजफ्फरनगर

श्री सीताराम बिल्डर्स बनाम सरकार

आदेश

श्री सीताराम बिल्डर्स 39 सुथराशाही मुजफ्फरनगर द्वारा पार्टनर विनीत बंसल पुत्र श्री परमेश्वर दयाल निवासी सुथराशाही मुजफ्फरनगर ने अपनी भूमि स्थित ग्राम शेरनगर तहसील व जिला मु0नगर खसरा नम्बर–34/0–3380है0 व 52/0–6410है0 व 53/0–7520है0 व 54म/0–9250है0 का 1/3 भाग व 58/0–7480है0 का 3/4 भाग कुल क्षेत्रफल 2–6003है0 पर कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक उद्घोषित किये जाने हेतु अभ्यर्थना की गयी हैं।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की जांच आख्या एवं संस्तुति दिनांक 20–3–2010 एवं उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर की अनापत्ति दिनॉक 17–4–2010 प्राप्त हुई। तहसीलदार आख्या के अवलोकन से विदित है कि ग्राम शेरनगर स्थित भूमि खसरा नम्बर–34/0–3380है0 व 52/0–6410है0 व 53/0–7520है0 व 54म/0–9250है0 का 1/3 भाग व 58/0–7480है0 का 3/4 भाग कुल क्षेत्रफल 2–6003है0 पर अभिलेखो में प्रार्थी का नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में कृषि कार्य बन्द कर दिया गया है, तथा मौके पर प्लाटस की निशानदेही व नीव भरने का कार्य शुरू कर दिया हैं। उक्त भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य की संभावना नहीं हैं। उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक उद्घोषित करने की संस्तुति की गयी है। तहसीलदार के द्वारा अपनी आख्या के साथ हाल खतौनी, जोत चक0 आकार पत्र 41 व 45 की सत्य प्रतिलिपि तथा नियम 135 की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी है। जिसमें प्रश्नगत क्षेत्रफल पर कृषि कार्य न किये जाने का उल्लेख किया गया है।

उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर ने अपने पत्र दिनॉक 17–4–2010 में उल्लिखित किया हैं कि उक्त खसरा नम्बरो का भू–उपयोग मुजफ्फरनगर महायोजना–2021 में आवासीय हैं एवं आंशिक भू–भाग पर 45 मीटर चौडा महायोजना मार्ग प्रस्तावित हैं। कान्स्टीटयूट कम्पनी के हित में अकृषक घोषित किये जाने में प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं हैं।

मैने पत्रावली एवं उपलब्ध भूअभिलेखो का अवलोकन किया जिससे विदित है कि प्रश्नगत भूमि पर कृषि कार्य नही हो रहा है और उक्त भूमि पर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेखो में बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। यह भूमि वर्तमान में कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कार्य में प्रयोग नही हो रही है। पत्रावली पर उपलब्ध जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 एवं तहसील आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि नहीं है। विकास प्राधिकरण को भी इस भूमि के अकृषक घोषित होने में कोई आपत्ति नहीं हैं। इस प्रकार उपरोक्त भूमि को जमींदारी विनाश अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार की आख्या एवं संस्तुति दिनॉक 20–3–2010 एवं विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर की अनापत्ति दिनॉक 17–4–2010 के आधार पर ग्राम शेरनगर स्थित भूमि खसरा नम्बर–34/0–3380है0 व 52/0–6410है0 व 53/0–7520है0 व 54म/0–9250है0 का 1/3 भाग व 58/0–7480है0 का 3/4 भाग कुल क्षेत्रफल 2–6003है0 को जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि उद्घोषित करते हुए लगान से मुक्त किया जाता है। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हों। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक तहसील सदर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। बाद दर्ज कर पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित हो।

दिनॉक– 01–05–2010

(जे0 एस0 मिश्र)
उप जिलाधिकारी सदर
मुजफ्फरनगर।

१–नाम नकल ...
२–नकल बर्ग ...
३–तुलना ...
४–प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का 3/5/10
५–नकल तैयारी का 3/5/10
६–नकल वापसी का 3/5/10
७–उजरत (फीस) 12/-

सत्य प्रतिलिपि
पेशकार
उप जिलाधिकारी
मुजफ्फरनगर

प्रशासनिक/उप जिलाधिकारी सदर, मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मुजफ्फरनगर (उ.प्र.)